



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)
P.O. New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

सं० 37-2./2012-भ०व०अ०शि०प०

दिनांक 28 नवम्बर, 2017

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 13.07.2017 का आंशिक रूप से संशोधन करते हुए महानिदेशक, भ०व०अ०शि०प० यह आदेश करते हैं कि उपमहानिदेशकों/भ०व०अ०शि०प० के संस्थानों के निदेशकों की अनुपस्थिति/अवकाश/दौरे के दौरान निम्नलिखित प्रकिया अपनायी जायेगी। प्रथम लिंक अधिकारी संबंधित अधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश/दौरे के दौरान कॉलम सं० 1 में उल्लिखित पद का कार्यभार देखेंगे तथा द्वितीय लिंक अधिकारी कॉलम सं० 1 एवं 2 में उल्लिखित दोनों अधिकारियों की अनुपस्थिति/अवकाश/दौरे के दौरान कॉलम सं० 1 में उल्लिखित पद का कार्यभार देखेंगे:-

क्रम सं०	पदनाम	प्रथम लिंक अधिकारी	द्वितीय लिंक अधिकारी
	1	2	3
1.	उपमहानिदेशक (प्रशासन)	सहायक महानिदेशक (प्रशासन)	उपमहानिदेशक (विस्तार)
2.	उपमहानिदेशक (अनुसंधान)	सहायक महानिदेशक (अनुसंधान एवं योजना)	निदेशक (अंतरराष्ट्रीय सहयोग)
3.	उपमहानिदेशक (शिक्षा)	सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड)	उपमहानिदेशक (प्रशासन)
4.	उपमहानिदेशक (विस्तार)	सहायक महानिदेशक (पर्यावरण संचालन)	उपमहानिदेशक (शिक्षा)
5.	निदेशक (अंतरराष्ट्रीय सहयोग)	सहायक महानिदेशक (आई०सी०)	उपमहानिदेशक (अनुसंधान)
6.	भ०व०अ०शि०प० के समस्त संस्थानों के निदेशक	जब तक कि भ०व०अ०शि०प० (मुख्यालय) द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो, तब तक भ०व०अ०शि०प० के संस्थानों के निदेशकों की अनुपस्थिति/अवकाश/दौरे के दौरान संबंधित निदेशक द्वारा सूचित किये गये लिंक अधिकारी।	

Rajeev Kumar Tiwari

(सजीव कुमार तिवारी)
सचिव

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
देहरादून

वितरण :-

1. सभी उपमहानिदेशक/निदेशक (आई०सी०), भ०व०अ०शि०प०।
2. सभी भ०व०अ०शि०प० के संस्थानों के निदेशक।
3. प्रमुख, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, भ०व०अ०शि०प०।
4. महानिदेशक, भ०व०अ०शि०प० के वरिष्ठ निजी सचिव।
5. गार्ड फाईल।

Dr. Rajeev Kumar Tiwari, IFS
Secretary, ICFRE



Phones: - 0135-2750297(O)
EPABX-0135-2224867
FAX No.- 0135-2750298
E. mail: secretary@icfre.org

INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION
(An Autonomous Body of the Ministry of Environment and Forests, Govt. of India)
P.O. New Forest, Dehradun – 248 006 (Uttarakhand)


No.37-2/2012-ICFRE

Dated the 22nd November, 2017

ORDER

In partial modification of this office order of even number dated 13.07.2017, the Director General, ICFRE is pleased to order that the following procedure shall be followed during the absence/leave/tour of the DDGs/Directors of Institutes under ICFRE. The 1st Link Officer shall look after the charge of the post mentioned under column (1) during the absence/leave/tour of the concerned Officer and 2nd link officer shall look after the charge of the post under column (1) during the absence/leave/tour of the officers mentioned under column (1) and (2) both.

Sl.	Designation/Post	1 st Link Officer	2 nd Link Officer
	1	2	3
1.	Dy. Director General (Admin.)	Asst. Director General (Admin.)	Dy. Director General (Extension)
2.	Dy. Director General (Research)	Asst. Director General (Research & Planning)	Director (IC)
3.	Dy. Director General (Education)	Asst. Director General (Education & RB)	Dy. Director General (Admin.)
4.	Dy. Director General (Extension)	Asst. Director General (Environment Management)	Dy. Director General (Education)
5.	Director (International Cooperation)	Asst. Director General (External Project)	Dy. Director General (Research)
6.	Director of ICFRE Institutes	Unless otherwise specified by ICFRE (Hqr.), the link officer for the Director during his/her absence/leave/tour shall be indicated by the Director.	


(Rajeev Kumar Tiwari)
Secretary, I.C.F.R.E.

Distribution:-

1. All DDGs/Director(IC), ICFRE
2. All Directors of Institute under ICFRE
3. Head, IT Division, ICFRE
4. Sr. P.S. to the DG, ICFRE
5. Guard file

